न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 84/2022 **(GCMS No. 2022/170)**

प्रार्थीया

1. औंकारराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी चान्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. विमलादेवी पत्नी ओंकारराम जाति जाट निवासी चांदपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)
2. सोहनी देवी पत्नी राजूराम जाति जाट नि. अड़कसर
3. उपं पंजीयक कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
5. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा कुचामनसिटी
6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कुचामनसिटी
7. उप पंजीयक कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 की ओर से।
श्री राजन्द्र राठी एवं श्री सुधीर कौशिक अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 24.08.2022

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 720/154 रकबा 3.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 721/154 रकबा 7.64 हैक्टर कुल रकबा 11.53 हैक्टर में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ आई हुई है, उपरोक्त भूमि में कुछ खातेदार बिना बंटवारा कराये ही उपरोक्त खसरानर की भूमि को विचित्र खरीददार (stranger purchaser) को बेचानर करने पर आमदा है जिससे आये दिन सीमाओ के विवाद उत्पन्न होनरे की पुरी–पुरी सम्भावना है, प्रार्थी ने उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का बार–बार विधिवत बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर जब खातेदारो को करवाने को कहा तो अप्रार्थी सं. 1 एव 2 प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हो गये और प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि से मुंतकिल करने पर आमदा हो गये, प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि संयुक्त खातेदारी होने के कारण उपरोक्त खसरान की भूमि के विधिवत बंटवारा नही होने के कारण आये दिनर झगड़ा फसाद उत्पन्न होता है तथा प्रार्थी को सभी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने में व्यवधानर उत्पन्न होता है इस बाबत प्रार्थी ने अपनी हिस्से की भूमि विधिवत बंटवारा करवाने हेतु पटवारी हल्का अड़कसर से सम्पर्क किया तो उसने उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा करने से साफ

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

इंकार कर दिया और न्यायालय में वाद पत्र पेश करने की बात कही, प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि मौजा अड़कसर के खसरा नम्बर 720/154 रकबा 3.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 721/154 रकबा 7.64 हैक्टर कुल रकबा 11.53 हैक्टर में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 ता 2 किसी प्रकार की कब्जा काश्त में दखल अंदाजी नही करे व उपरोक्त खसरान की भूमि का जब तक विधिवत बंटवारा नही हो जाता तब तक किसी प्रकार का बेचान, बक्शीश व रहन इत्यादि नही करें व अप्रार्थी सं. 3 को राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए आदेश जारी करे अप्रार्थी सं. 6 को उक्त खसरान के संबंध में किसी भी प्रकार बेचान, रहन बक्शीश, हस्तानान्तरण स्वीकार नही करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्राथीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया, अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी सं. 3 एवं 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी सं. 4 5 फोर्मल पक्षकार है। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि पर काबिज नही होकर अपने हक हिस्से की भूमि पर ही काबिज है, अप्रार्थी उत्तरदाता को अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने एवं खरीद फरोख्त करने का पुरा हक अधिकार है, प्रार्थी उक्त भूमि का बंटवारा कराये तो उत्तरदाता को कोई एतराज नही है तथा उतरदाता की भूमि का भी बंटवारा कर दिया जावें, प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही है अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावें। अप्रार्थी सं. 2 ने कथन किया है कि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है उभय पक्ष को वादाधीन भूमि को अन्तरण किये जाने से पाबंद किया जाता है तो मूल वाद की विषय वस्तु को किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने उसे नुकसान पहुचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतना नही होगा, यदि न्यायालय द्वारा सभ सहखातेदारों की संयुक्त जोत का विभाजन विधिवत किया जाता है तो उसे किसी प्रकार की आपत्ति नही है, संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से प्रार्थी अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होनरे हेतु प्रयासरत है, माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के अधीन प्रार्थी को भी पाबंद किया जावे कि जब तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि के बंटवारे के वाद का अंतिम निर्णय नही आ जाता तब तक उभय पक्ष अभिलेखीय एवं भौतिक रूप से हस्तक्षेप नही करे। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी सम्वत 2076–2079 ग्राम अड़कसर के खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 720/154, 721/154 की नकल प्रस्तुत की गई है।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराया गया है, प्रश्नगत भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 की संयुक्त रूप से सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है, जमाबंदी नकल सम्वत 2076–2079 ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 720/154, 721/154 कुल रकबा 11.53 हैक्टर में औंकारराम पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 577/1153 जाति जाट सा. चान्दपुरा खातेदार राहिन हिस्सा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी, विमलादेवी पत्नी औंकारराम हिस्सा 809/11530 जाति जाट सा. चान्दपुरा खातेदार राहित हिस्सा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी, सोहनीदेवी पत्नी राजूराम हिस्सा 4951/11530 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी के नाम दर्ज है, दोनो ही पक्षो द्वारा भूमि में बंटवारा चाहा गया है, अप्रार्थीगण ने विधिवत बंटवारा किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नही की है उन्होने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किया जाता है तो उन्हे कोई उज्र एतराज नही है। जब पक्षकारान विधिवत बंटवारा कराये जाने के लिए सहमत है तो प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनॉक 01.06.2022 खारिज किया जाता है

आदेश आज दिनॉक 24-08-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)